उलंघन पत्र रजि.ए .डी.



भारत सरकार खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर दुसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट् -विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005 फोन- 0771--2282530/2285590/95 <u>मेल- ro.raipur.ibm@gmail.com</u>

No- MP/DRG/Msand-2/NGP

दिनांक -14/5/2020

प्रेषिति-

श्री महेंद्र कुमार सेकसरिया,खान मालिक 271,रामदेव मंदिर वार्ड, गंज पारा, दुर्ग जिला-दुर्ग(छ॰ग॰)-491001

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित आपकी **करहीदिह मौल्डिंग सैंड** खान 4.047 है. में खिनज सरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 30.01.2020 by undersigned accompanied by Sri Rahul Seksaria, Owner's Representative.

Rule	Nature of Violation observed
26(2)	The holder of mining lease shall submit to the competent authority a yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1 st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out as envisaged in the approved mine closure plan, and if there is any deviation, reasons thereof but the same not submitted for the year 2018-19 till date.
Rule 55	For the purpose of carrying out reconnaissance, prospecting or mining operations in accordance with these rules,— 3.every holder of a mining lease shall employ, in case of— iv. category 'B' mines, a part-time mining engineer and a part-time geologist; But it was observed that Mining Engineer and geologist not appointed.

- े इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंड्नीय अपराध है1 एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत
 - (क) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है 1
 - (ख) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है1
- 3 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंधनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(राजेश कुमार दास) वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायप्र

प्रतिलिपि – for information please

- खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया 2 रायपुर, छत्तीसगढ

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर